न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

R-713-III/14

राधारानी पत्नि स्व. श्री श्यामबिहारी ब्रा0 **फौत**
द्वारा वारसान :–

1. खेमराज बिहारी तनय स्व. श्यामबिहारी
   निवासी पटवारी मुहल्ला महल रोड, छतरपुर
2. मिथलेश पुत्री स्व. श्यामबिहारी
3. ममता पुत्री स्व. श्यामबिहारी
4. माया पुत्री स्व. श्यामबिहारी **फौत**
5. ज्ञानप्रकाश तनय बद्रीप्रसाद तिवारी
   निवासी संध्या बिहार के पीछे सटई रोड छतरपुर .....निगरानीकर्तागण

विरूद्व

म.प्र.शासन .....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् कमिश्नर सागर संभाग सागर के आदेश दिनांक 27/06/06 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रही है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गुरैया तह. छतरपुर स्थित भूमि खसरा क्र 196/1/1 रकवा 10 एकड भूमि राधारानी की पैत्रिक भूमि है जो कि पूर्व में उसके पति श्यामबिहारी के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज थी परंतु बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना किसी आधार पर राजस्व अभिलेख में उक्त भूमि शासकीय मद में दर्ज की गयी जिसकी जानकारी प्राप्त होने पर राधारानी द्वारा एक आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधि विरूद्व रूप से निरस्त कर दिया गया जिसके विरूद्व एक अपील अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसे भी अपर कलेक्टर द्वारा निरस्त कर दिया गया जिसके विरूद्व द्वितीय अपील कमिश्नर सागर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसे भी कमिश्नर सागर द्वारा निरस्त कर दिया गया जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 713/III/ 2014 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
29.4.2014	यह निगरानी आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 70 अ–1/04–05 में पारित आदेश दिनांक 27–6–06 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय में दिनांक 26–2–14 को प्रस्तुत की गई है। 2/ अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन में दिये गये विवरण पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने। उन्होंने बताया कि आवेदकगण की मॉ ने आयुक्त न्यायालय में पैरबी हेतु अभिभाषक नियुक्त किया, किन्तु अभिभाषक ने उसे यह नहीं बताया कि उनके व्दारा पैरबी हेतु अन्य अभिभाषक नियुक्त कर दिया है जिसके कारण वह सागर आकर प्रकरण में उपस्थित नहीं हो सकी तथा इसी दौरान उनकी मृत्यु हो गयी, तब निगरानीकर्तागण ने अभिभाषक से संपर्क किया एंव दिनांक 22–1–14 को नकल प्राप्त होने पर निगरानी की गई है, जिसके कारण विलम्ब क्षमा किया जावे। 3/ आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने पर स्थिति यह है कि जब दिनांक 22–1–14 को आयुक्त के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि मिल चुकी, दिनांक 22–1–14 से निगरानी प्रस्तुत करने के दिनांक 26–2–14 तक के दिन प्रतिदिन का हिसाब नहीं दिया गया है जहॉ तक	

अभिभाषक व्दारा आवेदकगण को अथवा उनकी मॉ को सही जानकारी न दिये जाने का प्रश्न है ? विचार योग्य है –

1. भू–राजस्व संहिता,1959 (म.प्र.)–धारा–47 तथा 44 एंव परिसीमा अधिनियम, 1963 – धारा 5 – विलंब माफी हेतु आवेदन – आदेश की जानकारी का स्पष्ट श्रोत नहीं दर्शाया गया – प्रत्येक दिन के विलंब का स्पष्टीकरण नहीं – विलंब माफ नहीं किया जा सकता।
2. म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959– धारा 47 – अंतिम आदेश दिनांक की तिथि अभिभाषक के अभिज्ञान में है– आदेश नियत दिनांक को अभिभाषक ने टीप नहीं किया– आदेश की सूचना होना जाना मानी जावेगी – प्रथक से सूचना देना आवश्यक नहीं है।
3. म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959– धारा 47 – अनुचित विलम्ब को क्षमा करके एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वित्तीय पक्षकार को प्रोदभूत मूल्यवान अधिकार को विनष्ट नहीं किया जा सकता।

4/ उपरोक्त कारणों से निगरानी समयवाह्य पाये जाने से निरस्त की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर